

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है:

सूचना अधिकार नियम 2005, (संख्या-22 आफ,2005) की धारा-8 (1) के आलोक में वर्णित छूटों को छोड़कर समस्त सूचना आम जनता को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध करायी जा सकती है।